RESEARCH PAPER | Social Science | Volume : 6 | Issue : 6 | June 2016 | ISSN - 2249-555X | IF : 3.919 | IC Value : 74.50

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिमजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाऐ

KEYWORDS

Santosh Kumar Rai	Dr. R.P. Agrawal
शोधार्थी सेक्टर–10, भिलाई	पंडित रविशंकर विश्व विद्यालय रायपूर (छ.ग.) सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) कल्याण स्नाकोत्तर महाविद्यालय भिलाई सेक्टर – 7

ABSTRACT प्रस्तुत शोध पत्र छत्तीसगढ़ राज्य में आदिमजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं पर आधारित है। छत्तीसगढ़ भारत के खनिज समृद्ध राज्यों में से एक हैं। यहां पर चूना पत्थर, लौह, ताँबा, मैगनीज, कोयला का भंडार हैं। छत्तीसगढ़ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग विभिन्न तरह की योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गो में समानता लाने का प्रयास करता हैं। आज भी दूर दराज एवं छत्तीसगढ के पिछड़े इलाके के आदिम जाति, अनुसूचित जाजि, अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास हेतु राज्य सरकार संघर्षरत हैं।

मध्यप्रदेश से अलग होकर राज्य छत्तीसगढ़ 1 नवम्बर 2000 को अस्तित्व मे आया। 2011 के छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 71.04: हैं। भारत के कुल उत्पादित इस्पात का 15: छत्तीसगढ़ में होता हैं। देश का 10 वाँ बड़ा राज्य हैं। जब राज्य का निमार्ण हुआ छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोक सभासीट हैं। जिनमें 5 सामान्य 4 अनुसूचित जनजाति और 2 अनुसूचित जाति की सीटे हैं।

राज्य के सर्वागींण विकास में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं का महत्वपूर्ण स्थान हैं। जिसे ध्यान मे रखते हुए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं लागू की गयी जिनमें प्रमुख हैं।

विभागिय योजनाएं :– छत्तीसगढ़ राज्य के आदिमजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित

योजनाएँ

1 सरस्वती सायकल प्रदाय योजना
2 अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति
3 विद्यार्थी कल्याण योजना
4 कन्या साक्षरता प्रोत्साहन
5 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र
6 आगमन भत्ता
7 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजना
8 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम – 1989 अंतर्गत राहत योजना
9 अनुसूचित जाति, जनजाति आकस्मिकता नियम 1995
10 अंर्तजातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार
11 गुरू घासीदास लोककला महोत्सव
12 गुरू घासीदास सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान पुरस्कार
13 शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति पुरस्कार योजना
14 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना
15 अभिनव योजनाऐं

अभिनव योजनाऐं में प्रमुख हैं:–

a. जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष विद्यार्थी योजना वर्ष 2006
b. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005–06
c. आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना वर्ष 2005
d. विवेकान्द युवा कैरियर निर्माण वर्ष 2006
e. एयर हॉस्टेस प्रशिक्षण योजना
f. नाई पेटी प्रदाय (लोक मित्र योजना) वर्ष 2006।

a. जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष विद्यार्थी योजना वर्ष 2006:– अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावन छात्र–छात्राओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्ट आवासीय शिक्षण संस्थाओं (शासकीय एवं निजी) में प्रवेश दिलाकर प्रतिस्पर्धात्मक बनाना हैं। कक्षा 5 वीं एवं 8 वीं के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी कक्षा 5वीं एवं 8वीं बोर्ड की परीक्षा में क्रमशः न्यूनतम 85: तथा 80: से अधिक अंक प्राप्त मेध ावी विद्यार्थी पात्र हैं।

a. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005–06:– सहायता राशि 200/– प्रतिमाह हैं। यह राशि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का अतिरिक्त होगी।

c. आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना वर्ष 2005:– आदिवासी सांस्कृतिक दलों को नृत्य, वादय यंत्र आदि हेतु सहायता देना हैं। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के प्रत्येक जनपद पंचायत से अधिकतम 5 सांस्कृतिक दलों को सहायता दी जावेगी।

d. विवेकान्द युवा कैरियर निर्माण वर्ष 2006:– इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की प्रशासकीय सेवाओं बैंकिंग भर्ती बोर्ड आदि को परीक्षाओं में सफलता दिलाने हेतु निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से कोचिंग दिलाना हैं।

e. एयर हॉस्टेस प्रशिक्षण योजना:– इस दृष्टिकोण से प्रदेश के 10 आदिवासी बालिकाओं को चयन कर एयर होस्टेस के प्रशिक्षण की योजना हैं।

f. नाई पेटी प्रदाय (लोक मित्र योजना) वर्ष 2006:– इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में ''बाल काटने'' के व्यवसाय में लगें लोगों को प्रोत्साहित करना।

i. हितग्राही बाल काटने के परम्परागत व्यवसाय में लगा होना चाहिए।

ii. चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना जायेगा।

iii. चयनित को नाई पेटी एवं सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

अध्यन का उद्देश्य :–

1 वित्तीय सहायता के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना एवं मूल्यांकन करना।
2 विभिन्न संचालित योजनाओं के माध्यम प्राप्त होने वालों लाभों की समीक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आदिम जाति के माध्यम से करना।
3 लाभार्थियों के चयन प्रक्रियां का अध्ययन करना और सुधार संभावनाओं को तलाशना एवं सुझाव देना।
4 आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को ऋण प्राप्त करने को अधिक सुविधाजनक बनाना ताकि कम से कम दस्तावेजनों के जरिये शीघ्रता से उचित राशि, उचित व्यक्ति तक पहुंचाई जा सकें।

अध्यन की परिकल्पना :–

राज्य व केन्द्र सरकार की वार्षिक रिपोर्ट प्रसिद्ध–पुस्तकों इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया द्व ारा सर्वेक्षण आंकड़े विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रीकाओं द्वारा प्रकाशित लेख तथा हितग्रहियों से प्राप्त आंकड़ों व सक्षात्कार के आधार पर निम्न परिकल्पना की हैं।

1 संस्था के अधिकारियों द्वारा हितग्रहियों को प्रशिक्षण की पर्याप्त व समुचित व्यवस्था समय–समय पर उपलब्ध करायी जा रही हैं। उसका स्वरूप कैसा हो विचार विमर्श, जीवन स्तर का अध्ययन कर प्रस्तुत करना।

2 आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्कूल/छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराकर

Volume : 6 | Issue : 6 | June 2016 | ISSN - 2249-555X | IF : 3.919 | IC Value : 74.50

उनके सर्वांगिंण विकास हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। क्या उसका सही लाभ हितग्राहियों को मिल रहा हैं या नहीं, उसका तुलनात्मक रूपरेखा तैयार करना।

निष्कर्ष :–

1 आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों वर्गो के लोगों को ऋण उपलबध कराने की प्रक्रियां को सरल बनाया जा सकेगा।

2 आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों में कमियों को दूर किया जा सकेगा।

3 आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करना संभव हो पायेगा।